

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(3)गृह-1/2023

जयपुर, दिनांक : 21.09.2023

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.09.2023 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपर टाईम स्केल की वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को सुपरटाईम स्केल से हायर सुपर टाईम स्केल में योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पदोन्नति तिथि
1.	श्री सत्यपाल मिढा	सामान्य	01.04.2023
2.	श्री कृष्णचन्द	सामान्य	01.04.2023
3.	श्री लक्ष्मण दास	सामान्य	01.04.2023
4.	श्री राजेश कुमार यादव	सामान्य	01.04.2023
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह यादव	सामान्य	01.04.2023
6.	श्री हनुमान प्रसाद मीणा	एस.टी.	01.04.2023
7.	श्री राजेश कुमार कॉवट	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2023
8.	श्री नरेन्द्र सिंह मीणा	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2023
9.	श्री रमेश मौर्य	एस.सी.	01.04.2023
10.	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2023
11.	श्री केवलराम राय	एस.सी.	01.04.2023
12.	श्री राजेन्द्र कुमार	सामान्य	01.04.2023
13.	श्री गणपति महावर	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2023
14.	श्री गोरधन लाल सौंकरिया	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2023

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,

६०

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री महोदय, गृह
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस